

भेजकर किसी अन्य सक्षम न्यायालय से स्थगन आदि/कानूनी विधिक अडचन नहीं होने की स्थिति में निर्णय दिनांक से 60 दिवस की अवधि के पश्चात् निर्णय व डिक्री की पालना कर, पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहरीर जारी हो। मिसल वास्ते पालना रिपोर्ट दिनांक 1-5-24 को पेश हो।



01-05-24 पत्रावली पेठा हुई। डिक्री डार/पार्की उपस्थित। गामां सं: 1499 दिनांक 15/03/2024 की जल पेठा हुई जो शामिल पत्रावली की गई। अब गामां से लखील पार खेतड़ी में न्यायालय निर्णय दिनांक 05/02/2024 की पालना राज्य रिकार्ड में कर दी है। पत्रावली में अब अन्य कोई कार्यवही शेष नहीं है। अतः पत्रावली उर्ज ठगवर से कम होकर लखिल पार हो।


उपस्थित अधिकारी, खेतड़ी

